संख्या-18/2023/734/एक-1-2023-

1-1099/34/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023**

विषयः- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निम्नवत निर्धारण किया गया हैः-

राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/ 34/2023, दिनांक 03.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अधिसूचना संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा0-1, दिनांक 10.02.2021 को विखण्डित करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक में उल्लिखित राज्य सरकार की शक्ति मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित की गयी हैं। इस प्रकार प्राइवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास के लिए ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की कार्यवाही सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा की जाएगी।

2- राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उनके शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि प्राइवेट व्यक्तियों/उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास के लिए ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(7) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023

लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक-10 फरवरी, 2021 को विखण्डित करती है; और अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक में उल्लिखित राज्य सरकार की शक्ति, मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित करती हैं।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.15/2023/731/Ek-1-2023-1-1099/34/2023 dated: 03 August, 2023:

NOTIFICATION

No.15/2023/731/Ek-1-2023-1-1099/34/2023
Lucknow; Dated 03 August, 2023

In exercise of the powers under section 219 of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to rescind Notification no. 3/2021/217/one-1-2020-Ra-1 dated February 10, 2021; and the Governor is further pleased to delegate the power of the State Government mentioned under proviso to sub-section (2) of section 101 of the said Act to the Divisional Commissioners.

By order,
Sudhir Garg
Additional Chief Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।